न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 20 / 2022

जी0सी0एम0एस0 2022 / 86

1 गोपालसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सरानी (सरानी खेड़ा) तहसील व जिला धौलपुर

2 भूरा पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सरानी (सरानी खेड़ा) तहसील व जिला धौलपुर

3 श्रीमती मुन्द्रा देवी पुत्री स्व0 श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सरानी (सरानी खेड़ा) तहसील व जिला धौलपुर हाल आबाद बाईखेड़ा जारूआ कटरा आगरा जिला आगरा उ0प्र0 ....वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री निहालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सरानी (सरानी खेड़ा) तहसील व जिला धौलपुर ----- प्रतिवादी

2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मित्तल कोलोनी धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मित्तल कोलोनी धौलपुर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 28.07.2025

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 18.02.2022 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 12.05.2025 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 517 दिनांक 15.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी संख्या 3 ने इस आशय की आपत्ति पेश की है कि वादी संख्या 3 की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है, इसलिए पुनः वादी संख्या 3 की उपस्थिति में अच्छे–अच्छे व बुरे से बुरे आराजीयात देकर तहसीलदार साहब की मौजूदगी में बनाये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सीताराम वादी संख्या 3 को रोड़ से आये खसरा नम्बर में से कृषि भूमि नहीं देना चाहता है। इसलिए पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव मंगाये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी ने जबाब आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की सहमति से ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये वादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी संख्या 3 के भाई ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है। उनके विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। तहसीलदार धौलपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्ष को सूचित करने हुए विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार किये, वादी संख्या 3 बाबजूद सूचना विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु उपस्थित नहीं आई। प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब करने की नीयत से आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अतः तहसीलदार धौलपुर द्वारा विवादित आराजीयात हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए विवादित आराजी पर उभयपक्ष के कब्जे एवं अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि तय करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से कुछ भूमि अधिक दी है। उस विभाजन प्रस्ताव पर मौके पर उपस्थित सभी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

लोगो के समक्ष वादी संख्या 1 व 2 तथा मुझ प्रतिवादी के सहमति के हस्ताक्षर है। इसलिए दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया, वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, वकील वादी संख्या 3 ने इस आशय की आपत्ति की है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय वादी संख्या 3 को मौके पर नहीं बुलाया तथा उसकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये एंव पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार धौलपुर ने जरिये पत्रांक 485 दिनांक 14.07.2025 से नोटिस जारी किये जाकर उभयपक्ष को सूचित किया था, तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवायें है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आपत्ति वादी संख्या 3 खारिज करते हुए दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1054, 1269, 1303, 2539, 893, बाकै ग्राम सरानी आराजी खसरा नम्बर 1395 बाकै ग्राम शाहपुर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1. गोपाल सिंह, भूरा पुत्र व मुन्द्रा पुत्री पि. भगवानसिंह हि.ब. जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बीआरकेजीबी शाखा मित्तल कोलोनी धौलपुर	1054/2	0.2213 है0	चा0दो0
	1303/1	0.4236 है0	बा0अ0
	893/1	0.3920 है0	बा0अ0
	2539/1	0.2509 है0	चा0अ0
	1269/2	0.2023 है0	बा0दो0
2. सीताराम पुत्र निहालसिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक मित्तम कोलोनी धौलपुर	1054/1	0.2213 है0	चा0दो0
	1303/2	0.4236 है0	बा0अ0
	893/2	0.3920 है0	बा0 अ0
	2539/2	0.1505 है0	बा0अ0
	1269/1	0.2023 है0	बा0दो0
	1395	0.0506 है0	चा0 प्र0
3. गोपाल सिंह, भूरा पुत्र व मुन्द्रा पुत्री पि. भगवानसिंह हि.ब. जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बीआरकेजीबी शाखा मित्तल कोलोनी धौलपुर	2539/3	0.0160 है0	

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बैंक के राहिन के इन्द्राज बदस्तुर रहेंगें। विवादित आराजी के कुल लगान के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)